न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनील आर्य , आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 15/23 (225 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या :– 2023/80

उनवान

1. साहब सिंह पुत्र हरिशिकन जाति गूजर निवासी वरिघा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. विमलेश पुत्री साहब सिंह पत्नी धर्मेन्द्र सिंह जाति गूजर निवासी नगला छीतर तहसील खेरागढ जिला आगरा।
2. आरती पुत्री साहब सिंह पत्नी सन्तोष कुमार जाति गूजर निवासी हेलक तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन दिनांक 13.06.2023 मि.नं. 97/22 उनवानी विमलेश बनाम साहब सिंह।

अभिभाषकगण :–

1. श्री दिनेश शर्मा वकील अपीलांट उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–29.11.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय दिनांक 13.06.2023 के विरूद्ध पेश की गयी है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम बरिघा तहसील रूपवास प्रार्थी/रैस्पो0 व अप्रार्थी अपीलाण्ट की सहखातेदारी की आराजी है एवं विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है। परन्तु अप्रार्थी अपीलाण्ट ने विवादित आराजी को गलत रूप से अपने नाम करा लिया है। जबकि विवादित आराजी में प्रार्थी रैस्पो0 के जन्म से ही खातेदारी अधिकार निहित है। उक्त गलत इंद्राजो के आधार पर अप्रार्थी अपीलाण्ट विवादित आराजी में प्रार्थी रैस्पो0 के खातेदारी अधिकारो से इंकार कर रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी अपीलाण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश कानून व रिकार्ड के खिलाफ होने के कारण काबिल निरस्तनीय हैं। यह है कि विवादित आराजी के अपीलाण्ट रिकार्डेड खातेदार हैं एवं एक रिकार्डेड खातेदार को विधि अनुसार किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किये जाने का प्रावधान है। अपीलाण्ट के रैस्पो0 के अलावा अन्य वारिसान भी हैं। परन्तु रैस्पो0 ने उन्हें प्रकरण में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया। अपीलाण्ट का रैस्पो0 की शादियों में खर्चा हुआ, इसलिये विवादित आराजी का कुछ हिस्सा विक्रय किया है। अपीलाण्ट के पिता के रैस्पो0 के जन्म से पूर्व ही फौत हो चुका था। अतः रैस्पो0 को विवादित आराजी में जन्म से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने एक रिकार्डेड खातेदार को पाबन्द किये जाने में त्रुटि की है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1984 पेज 492, 1995 पेज 648, आरबीजे 1997 पेज 481, 44, 2018 पेज 504 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी पूर्व में अपीलाण्ट के पिता हरिकिशन के नाम दर्ज रही है। लिहाजा विवादित आराजी पैतृक आराजी साबित है। चूंकि विवाद पिता व पुत्रियों के मध्य है एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक सहदायिकी सम्पत्ति में पुत्रियों को भी पुत्रो के समान हक प्रदान किये गये हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलाण्ट के पक्ष में ना होकर रैस्पो0 के पक्ष में साबित होता है। दौराने वाद यदि विवादित आराजी की सुरक्षा नहीं की गयी तो रैस्पो0 को अपरमित क्षति होने के तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः विवादित भूमि की यथास्थिति सुविधा सन्तुलन को पुष्ट करती है। वैसे भी दौराने वाद, वाद जटिलता, बहुलता से बचने एवं विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द होने से रोकने के लिए स्थगन निरापद है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय दिनांक 13.06.2023 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस भेजा जावें।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

6. निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर